कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (गव्य विकास)

जिला गव्य विकास कार्यालय, गढ़वा।

"इच्छा की अभिव्यक्ति"

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, रांची के स्वीकृत्यादेश संख्या 26 (रा0) (विभाग), दिनांकः– 07.01.2021 में केन्द्रीय योजना/राज्य योजनान्तर्गत "मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना" के तहत् अनुदानित/लाभुक अंशदान/बैंक ऋण पर संचालन हेतु गव्य प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने हेतु **"इच्छा की अभिव्यक्ति"** के माध्यम से दिनांकः– 10.02.2021 तक विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता हैः–

क0	कार्यक्रम का नाम	परियोजना लागत	देय अनुदान	लाभुक अंशदान	लाभुक वर्ग
1	दो दुधारू गाय	1,35,050.00	67,525.00 (50 प्रतिशत)	67,525.00 (50 प्रतिशत)	बी0पी0एल, ए0पी0एल0, ग्रामीण महिला लाभुक
2	कामधेनु डेयरी फॉर्मिंग				
2.1	05 गाय की मिनि डेयरी	परियोजना लागत	देय अनुदान	लाभुक अंशदान/बैंक ऋण	लघु उद्यमी/युवा शिक्षित बेरोजगार/स्वयं सहायता समुह के सदस्य/प्रगतिशील पशुपालक
	अन्य जाति के लिए	3,37,625.00	84,406.00 (25 प्रतिशत)	2,53,219.00 (75 प्रतिशत)	
	अनु0जाति/जनजाति/दूध सरकारी समिति के लिए		1,12,531.00 (33.33 प्रतिशत)	2,25,094.00 (66.67 प्रतिशत)	
2.2	10 गाय की मिनि डेयरी	परियोजना लागत	देय अनुदान	लाभुक अंशदान/बैंक ऋण	
	अन्य जाति के लिए	6,75,250.00	1,68,813.00 (25 प्रतिशत)	5,06,437.00 (75 प्रतिशत)	
	अनु0जाति/जनजाति/दूध सरकारी समिति के लिए		2,25,061.00 (33.33 प्रतिशत)	4,50,189.00 (66.67 प्रतिशत)	
3	पशु आहार एवं चारा विकास योजना	परियोजना लागत	देय अनुदान	लाभुक अंशदान	
3.1	हस्त चालित	8,000.00	4,000.00 (50 प्रतिशत)	4,000.00 (50 प्रतिशत)	पशुपालकों के पास न्यूनतम 05 (पांच) उन्नत/संकर नस्ल के दुधारू पशु हो।
3.2	विद्युत चालित	20,000.00	10,000.00 (50 प्रतिशत)	10,000.00 (50 प्रतिशत)	पशुपालकों के पास न्यूनतम 10 (दस) उन्नत/संकर नस्ल के दुधारू पशु हो।
4	प्रगतिशील डेयरी कृषकों का सहायता	परियोजना लागत	देय अनुदान	लाभुक अंशदान	
4.1	मिल्कींग मशीन (4 बकेट)	1,20,000.00	(50 प्रतिशत)	60,000.00 (50 प्रतिशत)	प्रगतिशील दूध उत्पादक/डेयरी उद्यमी जो दुग्ध–उत्पादन व्यवसाय से जुड़े हों एवं बुनियादी सुविधा उपलब्ध हो।
4.2	पनीर एवं खोआ मेकिंग यूनिट (एक सेट)	1,00,000.00		50,000.00 (50 प्रतिशत)	
4.3	वर्मी कम्पोस्ट यूनिट 3 M x 2 M x 1M	25,000.00		12,500.00 (50 प्रतिशत)	
4.4	डीप बोरिंग–"4 Dia, Deapth 400 Fit & ETC	1,00,000.00		50,000.00 (50 प्रतिशत)	
4.5	काउ मैट (Cow mat)6.5' x 4.'	52,000.00		26,000.00 (50 प्रतिशत)	

अहर्ता/नियम एवं शर्तेः–

- इस योजना के अर्न्तगत लाभुकों का चयन ग्रामसभा से कराते हुए चयनित सूचि पर प्रखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा उपरांत उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा अंतिम रूप से लाभुकों का चयन किया जायगा।
- वैसे लाभुक जिन्हें पूंव में समान योजनाओं का लाभ राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया हो, इस योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे।
- दुधारू मवेशी वितरण योजना अन्तर्गत ए0पी0एल0 वर्ग के महिला लाभुक वर्ग में विधवा/निःसंतान/तलाकशुदा/परित्यकता/विकलांग/लघु सीमान्त वर्ग की महिला कृषक होंगे।
- ए0पी0एल0 वर्ग के लाभुक जिनके परिवार का एक भी सदस्य संस्थागत भूमि धारक/ पूर्व अथवा वर्तमान संवैधानिक पद धारक/केन्द्र एवं राज्य सरकार/लोक उपक्रम/सरकारी स्वायतशासी संस्थाओं के कर्मी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग 4/समूह 'घ' के कर्मी को छोड़कर) 10000/– अथवा उससे अधिक मासिक पेंशनधारी/पिछले मल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया हो/पेशेवर संस्थाओं से निबंधित पेशेवर यथा चिकित्सक, अभियंता, वकील, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं आर्किटेक्स वगी के होने की स्थिति में इस योजना के पात्र नहीं होंगे। लाभुकों को इस आशय का स्व–अभिप्रमाणित घोषणा पत्र देना होगा।
- दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम अर्न्तगत योजना का कियान्वयन अनुदान–सह–लाभुक अंशदान/बैंक ऋण पर किया जायगा।
- दुधारू मवेशी वितरण योजना का कियान्वयन के क्रम में दुधारू मवेशी का क्रय 6 माह के अंतराल पर दो चरणों में किया जायगा।
- दुधारू पशु वितरण कार्यक्रम अंतर्गत पशु शेड का निर्माण मनरेगा अंतर्गत उपलब्ध निधी के अभिसरण से किया जायेगा। पूर्व से मनरेगा अंतर्गत निर्मित पशु शेड के लाभुकों को इसका लाभ देय नहीं होगा।
- हस्त चालित/विद्युत चालित चारा काटने की मशीन की योजना का लाभ सरकार द्वारा निर्धारित ईकाई दर अथवा राज्यादेश में उल्लेखित दर, दोनों में जो कम होगा उसके आधार पर क्रय उपरांत अनुदान राशि का भुगतान लाभुकों को उनके दावा विपत्र के आधार पर किया जायेगा।
- लाभुक द्वारा दुधारू पशुओं का क्रय गव्य विकास निदेशालय से निबंधित/सूचिबद्ध विक्रेता से किया जायेगा।
- चारा काटने की मशीन की योजना के लाभुकों द्वारा हरा चारा उत्पादन किया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता की योजना अर्न्तगत स्वीकृत अनुदान राशि का भुगतान विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा राज्यादेश में उल्लेखित दर दोनों में जो कम होगा के आधार पर क्रय उपरांत लाभुकों के दावा विपत्र के आधार पर अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।
- वर्मी कंपोस्ट यूनिट एवं बोरिंग आदि हेतु सक्षम स्तर से तकनीकी स्वकृत प्राप्त प्राक्कलित राशि अथवा योजना के अनुमानित लागत दोनों में से जो कम हो के आधार पर कार्य उपरांत अनुदान की राशि लाभुकों को उनके दावा विपत्र के आधार पर दिया जायेगा।
- चारा काटने की मशीन, मिल्किंग मशीन, खोवा/पनीर मेकिंग यूनिट तथा काउ मैट आदि की विशिष्टियां/गुणवता विभाग द्वारा निर्धारित की जायगी।
- लाभुकों का अनुदान राशि का भुगतान बैंक खातों में डी0बी0टी0 के माध्यम से झारखण्ड कोशागार संहिता 2016 के आलोक में किया जायेगा।
- प्रशिक्षण किये हुए लाभुकों को योजना का लाभ दिया जायेगा।

इच्छुक पशुपालक अपना **आवेदन** ग्राम सभा की अनुशंसीत सूची के साथ जिला गव्य विकास **कार्यालय,** गढ़वा में निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिचित करेंगे। विलम्ब आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोटः– विशेष जानकारी के लिए मोबाईल नं0–7739022522 पर संर्पक करें

15.9.2021

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,